

प्रेषक,

विवेकानन्द विश्वकर्मा,  
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट /  
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-11, उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
उन्नाव।

**विषय:-**

शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024,  
दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन  
करने का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक-26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी.-1) से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं०-1185/DR(S)/2006, दिनांकित-13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक-15.06.2006 को जनपद भदोही में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित-28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अछादित होने का पात्र है।

प्रार्थी, शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

Letter No - 2676/I-59-22

Dated : 18.07.2024

भवदीय

*Prakash*

(विवेकानन्द विश्वकर्मा)

विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट /  
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-11, उन्नाव।  
आई०डी० नं०- UP6406

**Forwarded**

**District Judge**  
**Unnao**

दि०-15.07.2024

157124

संलग्नक :-

1- पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।